(b) if so, what measures have been envisaged to curb this bad practice ?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESRI) : (a) Yes, Sir.

(b) The measures adopted are both legal as well as rehabilitative. Under the Juvenile Justice Act, 1986, a juvenile found begging is treated as a "neglected juvenile". The Act, therefore, provides for a legal-rehabilitative mechanism under sections 13 to 16 of the Act, which serve the best interest of the child concerned by providing proper care through parents fit-persons/fit-institutions through Juvenile Welfare Boards.

As a rehabilitative measure, the Ministry of Welfare assists the State Governments/U.T. Administrations/ Voluntary Organisations to run homes under the Juvenile Justice act through a Centrally Sponsored Scheme of Prevention and Control of Juvenile Social Maladjustment. The Scheme provides for education and training in various trades for children living in these institutions.

पिछड़े वर्गों के रहन-सहन का स्तर

830. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछड़े वर्गों के रहन-सहन का स्तर ऊंचा उठाने के लिये कोई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश मे चलाई जा रही योजनाओं के नाम क्या-क्या हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान हासिल की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्गों को आवधिक ऋण/सीमान्त राशि दे रहा है बशर्ते उद्यमी की वार्षिक पारिवारिक आय गरीबी की रेखा की आय की दुगनी से कम हो।

(ख) और (ग) उत्तर प्रदेश में 1992-93 के दौरान इस निगम ने 15 योजनाओं को शामिल करते हुए पिछड़े वर्गों के सदस्यों द्वारा उन्नयन किये गये 3380 यूनिटों को कुल 322.41 लाख रुपये के आवधिक ऋण/सीमान्त राशि मंजूर की है। यह निगम 13.1.1992 को पंजीकृत हुआ था और इसने 1992-93 के उत्तरार्ध में काम करना शुरू किया।

उत्तर प्रदेश में सामाजिक संगठन

831. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में कार्यरत उन सामाजिक संगठनों के नाम क्या-क्या हैं, जिन्हें केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता मिल रही है ;

(ख) क्या यह संगठन राज्य के पिछड़े वर्गों के लोगों की मांगों को पूरा कर रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) कल्याण मंत्रालय से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे सामाजिक संगठनों के नामों का एक विवरण अनुपत्र में दिया गया है। [देखिए—परिशिष्ट 168, अनुपत्र संख्या 15]

(ख) जी, हां।

(ग) ये संगठन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिये आवासीय स्कूल, होस्टल, हापिस्टल,